इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,इलाहाबाद।

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 01–08–2016 को अपराह्न 3.00 बजे इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की नई बेवसाइट adaallahabad.in की लॉचिंग श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इन्दिरा भवन अष्ठम तल स्थित सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई,जिसमें सचिव, श्रीमती वन्दना त्रिपाठी शर्मा, अपर सचिव, श्री गुडाकेश शर्मा,मुख्य नगर नियोजक, श्री पी0के0 सौलॅकी, विशेष कार्याधिकारी, श्री पुष्कर श्रीवास्तव, श्री सत् शुक्ला एवं इलेक्ट्रिक मीडिया एवं प्रिन्ट मीडिया के मीडिया कर्मी उपस्थित रहे।

प्राधिकरण की नयी बेवसाइट को आकर्षक एवं जनोपयोग बनाने का प्रयास किया गया है,जिसमें अधिक से अधिक सूचनायें प्राधिकरण की बेवसाइट पर उपलब्ध करायी जा रही है। प्राधिकरण की बेवसाइट पर रिक्त सम्पत्तियों का विवरण तथा वर्तमान में विभिन्न योजनाओं में रिक्त सम्पत्तियों के आवंटन हेतु खोले गये पंजीकरण का विवरण उपलब्ध होगा।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित नियमों एवं शासनादेशों तथा उपविधि भी बेवसाइट पर उपलब्ध कराया गया है,जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 , भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा–संशोधित), तथा इसमें नवीन प्रस्तावित संशोधन–2016, शमन उपविधि–2009, महायोजना–2021, जोनल प्लान, जोन–बी–4, दिये गये हैं। बेवसाइट पर प्राधिकरण से स्वीकृत तलपट मानचित्र, ग्रुप हाउसिंग एवं व्यावसायिक भवनों की सूची भी उपलब्ध करायी जा रही है।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण आने वाले समय में स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग, ले–आउट एवं बड़े कामर्शियल भवनों के मानचित्र की प्रति भी ऑटो कैड (Autocad) परफार्मेट पर तथा महायोजना एवं जोनल प्लान को भी ऑटो कैड (Autocad) परफार्मेट पर उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। साथ ही प्राधिकरण द्वारा जो भी नवीन योजनाओं का आवंटन हेतु पंजीकरण खोला जायेगा वह बेवसाइट पर उपलब्ध रहेगा तथा Online आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराने पर कार्यवाही की जा रही है।

प्राधिकरण द्वारा द्वारा E-NewsLetter का भी आज दिनांक 01–08–2016 को उद्घाटन किया गया। आने वाले समय में प्रत्येक माह E-newsletter प्राधिकरण की बेवसाइट पर तथा Subscribed आवेदक के पास उपलब्ध रहेगा। E-newsletter का सब्सक्रीप्सन निः शुल्क रखी गयी है, इस हेतु प्राधिकरण की बेवसाइट पर अपने E-mail Id , मोबाइल नं0, नाम तथा पता अपलोड कर Subscribed किया जा सकता है।

(गुडाकेश शर्मा)
प्रभारी अधिकारी–जनसम्पर्क

प्रतिलिपिः–

1. सम्पादक–समस्त समाचारपत्रों–को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

प्रभारी अधिकारी–जनसम्पर्क